भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.51/8/वीवीपीएटी-अनुदेश/2018-ईएमएस दिनांक : 13 फरवरी, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन-प्रायोगिक परीक्षण-तत्सबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने पहले ही यह अनिवार्य किया है कि सभी संसदीय एवं राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण/उप-निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56घ के उपबंधों **के अतिरिक्त,** आयोग ने गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के हाल ही में संपन्न साधारण निर्वाचनों में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का प्रायोगिक आधार पर अनिवार्य रूप से सत्यापन संचालित किया तथा इसे प्रायोगिक आधार पर मेघालय,नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य की विधान सभाओं के चल रहे साधारण निर्वाचनों के लिए विस्तारित किया गया है।

आयोग ने इसके अतिरिक्त निदेश दिया है कि इसके पश्चात से, ईवीएम में रिकार्ड किए गए मतों की गणना के अंतिम दौर के सम्पूर्ण होने के पश्चात निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56घ के उपबंधों **के अतिरिक्त,** सभी संसदीय एवं राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण/उप-निर्वाचनों में यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से निम्नानुसार संचालित किया जाएगा-

(क) राज्य विधान सभाओं के साधारण तथा उप-निर्वाचनों के मामले में, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन।

(ख) लोक सभा के साधारण तथा उप-निर्वाचनों के मामले में, संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खण्ड के यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन।

वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के इस अनिवार्य सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड के यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन ईवीएम में डाले गए मतों की मतगणना के अंतिम चरण के समाप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

2. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/उनके एजेन्टों तथा आयोग द्वारा उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 01(एक) मतदान केन्द्र का यादृच्छिक रूप से चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

3. लॉटरी का ड्रॉ संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड के निर्दिष्ट गणना हॉल में ईवीएम में डाले गए मतों (कंट्रोल यूनिट) की गणना के अंतिम चरण के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।

4. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 01(एक) मतदान केन्द्र के यादृच्छिक चयन हेतु वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन के बारे में अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेन्टों को पहले ही लिखित सूचना दी जाएगी।

5. लॉटरी का ड्रॉ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

   क. लॉटरी का ड्रॉ करने के लिए पोस्टकार्ड आकार का सफेद रंग का पेपर कार्ड प्रयोग किया जाएगा।

   ख. ऐसे पेपर कार्डों की संख्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए।

   ग. पेपर कार्डों में पूर्व मुद्रित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड की संख्या, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड का नाम तथा मतदान की तारीख ऊपर की ओर होनी चाहिए तथा मतदान केन्द्र संख्या मध्य में होनी चाहिए। मतदान केन्द्र संख्या का प्रत्येक अंक कम से कम 1’’X1’’ (1 इंच X 1 इंच) आकार का होगा और काली स्याही में मुद्रित होगा।

   घ. लॉटरी के ड्रॉ के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेपर कार्डों के इस प्रकार से चार फोल्ड किए जाएं कि मतदान केन्द्र संख्या दिखाई न दे।

   ड. प्रत्येक पेपर कार्ड को मोड़े जाने और इसे डिब्बे में डाले जाने से पूर्व अभ्यर्थियों उनके एजेन्टों

को दिखाया जाएगा।

च. पेपर कार्डों को बड़े डिब्बे में रखा जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 01(एक) पर्ची उठाने से पूर्व इसे अवश्य हिलाया जाएगा।

6. वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन गणना हॉल के भीतर इस उद्देश्य से विशेष रूप से बनाए गए ''वीवीपीएटी गणना बूथ'' (वीसीबी) में किया जाएगा। बूथ को बैंक कैशियर के केबिन की तरह तार की जाली से घेर दिया जाएगा ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वीवीपीएटी पेपर पर्ची का अवलोकन नहीं किया जा सके। गणना हॉल में एक गणना मेज को वीसीबी में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे ईवीएम की चरण वार गिनती समाप्त होने के पश्चात यादृच्छिक चयन के अनुसार वीवीपीएटी पर्चियों की गणना से पूर्व ईवीएम मतों की चरणवार सामान्य गणना के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

7. यादृच्छिक रूप से चुने गए 01(एक) मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की सत्यापन गणना, मुद्रित पेपर पर्चियों पर पूर्णत: आयोग के अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

8. रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बूथ पर वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। सामान्य प्रेक्षक सम्पूर्ण कार्य-प्रक्रिया का सतर्कतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

9. उपर्युक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

10. उपर्युक्त प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी संलग्न फार्मेट में प्रमाण-पत्र देंगे।

आयोग के उपर्युक्त निदेश सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,

ह./-

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-मानक वितरण के अनुसार

अनुबंध

यादृच्छिक रूप से चयनित 01 मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी की पेपर पर्चियों के सत्यापन का प्रायोगिक परीक्षण

राज्य का नाम--
विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या तथा नाम---
विधान सभा खण्ड की संख्या तथा नाम(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के मामले में)-------------------------------
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या तथा नाम---
कंट्रोल यूनिट की विशिष्ट आईडी---
वीवीपीएटी की विशिष्ट आईडी--

यह प्रमाणित किया जाता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए 01 मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना का प्रायोगिक परीक्षण आयोग के अनुदेशों के अनुसार किया गया है।

अभ्यर्थी का नाम	**डाले गए मतों की संख्या**		**विसंगति, यदि कोई हो**
	ईवीएम के अनुसार	**पेपर पर्चियों के अनुसार**	
1.			
2.			
3.			
--			
--			
नोटा			
कुल मत			

गणना एजेन्टों के हस्ताक्षर
1..........................
2.........................
3.........................

गणना पयवेक्षक का हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी का हस्ताक्षर

सामान्य प्रेक्षक का हस्ताक्षर